

जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2022

प्रलिस के लिये:

जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2022, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

मेन्स के लिये:

सरकारी नीतियों और हस्तक्षेप, कुछ अपराधों का गैर-अपराधीकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2022 पेश किया।

- इसका उद्देश्य 42 अधिनियमों में 183 अपराधों का "गैर-अपराधीकरण" करना है और भारत में रहने तथा [ईज ऑफ़ डुइंग बिज़नेस](#) को बढ़ावा देना है।
- अधिनियम द्वारा संशोधित किये गए कुछ अधिनियमों में शामिल हैं: [भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898](#); [पर्यावरण \(संरक्षण\) अधिनियम, 1986](#); [सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991](#) और [सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000](#)।

प्रमुख बिंदु

- कुछ अपराधों का गैर-अपराधीकरण:**
 - अधिनियम के तहत कुछ अधिनियमों में कारावास की सज़ा वाले कई अपराधों को केवल अर्थ दंड लगाकर अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है।
 - उदाहरण के लिये:**
 - कृषि सप्लाय (ग्रेडिंग और मार्किंग) अधिनियम, 1937 के तहत नकली ग्रेड पदनाम चहिन तीन वर्ष तक के कारावास और पाँच हजार रुपए तक के जुर्माने के साथ दंडनीय है। ग्रेड पदनाम चहिन वर्ष 1937 अधिनियम के तहत वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाता है।**
 - यह अधिनियम इसके स्थान पर आठ लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान करता है।
 - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत एक वैध अनुबंध के उल्लंघन में व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने पर तीन साल तक की कैद या पाँच लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।**
 - यह अधिनियम इसके स्थान पर 25 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान करता है।
 - उदाहरण के लिये पेटेंट अधिनियम, 1970 के तहत भारत में पेटेंट के रूप में गलत प्रतिनिधित्व वाली वस्तु बेचने वाले व्यक्ति पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।**
 - कुछ अधिनियमों में **दंड के बजाय जुर्माना लगाकर अपराधमुक्त कर दिया गया है।**
 - यह अधिनियम **अर्थदंड (फाइन) के स्थान पर जुर्माने (पेनाल्टी) का प्रावधान करता है, जो दस लाख रुपए तक हो सकता है।** दावा जारी रखने की स्थिति में प्रतिदिन एक हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना देना होगा।
 - अर्थदंड और जुर्माने में संशोधन:**
 - यह अधिनियम **नरिदषिट अधिनियमों के तहत विभिन्न अपराधों के लिये अर्थदंड और जुर्माने में वृद्धि करता है।**
 - इसके अलावा **इन अर्थदंड और जुर्माने को प्रतितीन वर्ष में न्यूनतम राशि के 10% तक बढ़ाया जाएगा।**
 - नरिणायक अधिकारियों की नयुक्ति:**
 - अधिनियम के अनुसार, **केंद्र सरकार दंड नरिधारति करने के उद्देश्य से एक या एक से अधिक नयायनरिणयन अधिकारियों की नयुक्ति कर सकती है।** नरिणायक अधिकारी: (i) व्यक्तियों को साक्ष्य के लिये समन भेज सकते हैं और (ii) संबंधित अधिनियमों के उल्लंघन की जाँच कर सकते हैं।
 - अपीलीय तंत्र:**
 - अधिनियम नयायनरिणयन अधिकारी द्वारा पारति **आदेश से परेशान किसी भी व्यक्ति के लिये अपीलीय तंत्र को भी नरिदषिट करता है।**
 - उदाहरण के लिये पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत आदेश के 60 दिनों के भीतर राष्ट्रीय हरति अधिकरण में अपील

दायर की जा सकती है।

वधियक को लाने के पीछे उद्देश्य:

- **आपराधिक मामलों में वृद्धि:**
 - दशकों से वधिवित्ता इस बात से चतिति है कि आपराधिक कानून सदिधांतहीन रूप से विकसित हुआ है।
 - राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रडि के अनुसार, 4.3 करोड़ लंबति मामलों में से लगभग 3.2 करोड़ मामले आपराधिक कार्यवाही से संबधति हैं।
- **राजनीतिक उद्देश्य:**
 - गलत आचरण हेतु दंडति करने के वपिरीत **अपराधीकरण अक्सर सरकारों के लिये एक मज़बूत छविपेश करने का उपकरण बन जाता है।**
 - सरकारें इस तरह के फैसलों का समर्थन बहुत कम करती हैं। इस घटना को वदिवानों द्वारा "अतअपराधीकरण" कहा गया है।
- **जेलों में क्षमता से अधिक कैदी:**
 - **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड बयुरो** के वर्ष 2021 के आँकड़ों के अनुसार, कुल 4.25 लाख की क्षमता वाली जेलों में 5.54 लाख कैदी थे।

वधियक का दायरा:

- वधियक '**अर्द्ध-गैरअपराधीकरण**' (Quasi-Decriminalisation) को भी अपने दायरे में ला सकता है।
- ऑब्ज़र्वर रसिर्च फाउंडेशन द्वारा जारी रपिर्ट जेल्ड फॉर डूइंग बज़िनेस के अनुसार, भारत में कुल 843 आर्थिक वधिनों, नयिमों तथा वनियिमों में 26,134 से अधिक कारावास संबधी उपखंड हैं जो भारत में व्यवसायों एवं आर्थिक गतविधियों को वनियिमति करते हैं।
 - इस आलोक में वधियक के तहत गैर-अपराध की श्रेणी में शामिल किये गए अपराधों की संख्या केवल भारत के नयिमक ढाँचे में अल्प मात्रा में गरिावट को दर्शाती है।
- न केवल व्यापार सुगमता बल्क उन सभी बुराइयों, जो हमारी आपराधिक न्याय पूर्णाली को प्रभावति करती हैं, के दृषटकिण से भी 'गैर-अपराधीकरण' के लिये वधिार किये जाने वाले वनियिमक अपराधों की प्राथमकित्ता नरिधारति करने की आवश्यकता है।
- यह वधियक सरकार की इस सहमति के अनुरूप है कि गैर-अपराधीकरण नयिमक क्क्षेत्र तक सीमति होना चाहिये।

स्रोत: द हद्रि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/jan-vishwas-amendment-of-provisions-bill-2022>

